मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में
नॉन पी.पी.टी. पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2021–22

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित
नॉन–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

1	प्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में नॉन पी.पी.टी. पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम।	पृष्ठ 2–14
2	निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में नॉन पी.पी.टी. पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम।	पृष्ठ 15–26
3	नॉन–पी.पी.टी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम/अवधि तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी	पृष्ठ 27–27
4	विभिन्न पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में देय शिक्षण शुल्क की जानकारी	पृष्ठ 28–29
5	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 30–43
6	संस्थावार उपलब्ध सीटों की सख्या	पृष्ठ 44–44

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

प्रदेश के निम्नलिखित शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/ शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित नॉन पी.पी.टी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम.

1.1 सामान्य :

ये नियम शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित नॉन पी.पी.टी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: –

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
3. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
6. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
7. आयुक्त का तात्पर्य है आयुक्त, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति, राजीव गाँधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदा. सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H), एन.सी.सी (NCC), बिना वर्ग (X).
10. ''OP'' सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी।
11. ''F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी।

12. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" **(TFW)** से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य **(Supernumerary)** रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 8.00 (आठ) लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए, दिया जावेगा।

13 **मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण**:- शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% (दस प्रतिशत) स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

1.3 **लागू होना** :– ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में **तालिका 1** में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं।

1.4 **प्रवेश नियमः–**

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1.4.1 <u>स्थानों की उपलब्धता</u>

संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :–

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय /शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों /राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों	100 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें.

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

1.4.2 <u>स्थानों का आवंटन/आरक्षण</u>

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/ शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए (सैनिक वर्ग एवं जम्मू–कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार को छोड़कर) उम्मीदवार को इस प्रवेश नियम के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने की शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति(एस.सी.), अनुसूचित जनजाति(एस.टी.) तथा अन्य पिछड़ी जाति(ओ.बी.सी)(क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा.

<u>टिप्पणी :</u>

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति **(SC)** अथवा अनुसूचित जनजाति **(ST)** श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **<u>प्रारुप–1</u>** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक

एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारुप–2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2018** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप–10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण:**

समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में से एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी । शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों में एक–एक सीट स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के **(over and above)** आधार पर उपलब्ध रहेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारुप–7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारूप–8** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(घ़) एन.सी.सी. "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42-2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेकनीक महाविद्यालयों में 02 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ङ.) **क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation):**

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एंव अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

(अ) **सैनिक वर्ग (S)**

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत् प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकंलाग हो गये हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं । भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण –पत्र इस नियम पुस्तिका के में दिये गये निर्धारित **प्रारूप–3 भाग 'अ'** में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र **प्रारूप–3 भाग ''ब''** में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र **प्रारूप–4** में एंव उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र **प्रारूप–6** में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।

अथवा

वह 1 जनवरी 2021 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण पत्र **प्रारूप–3(भाग–ब)** में)।

टिप्पणी: सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

(ब) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रीयों/नातीयों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो इस प्रवेश नियम के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से **प्रारूप–5** मे प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

(स) बिना वर्ग (Nil Class) (X)

जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (**X**) का उम्मीदवार माना जावेगा ।

(द) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड'' क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी

अधिसूचना क्रं./एफ–5–5/2007/42/1, दिनांक 10.2.2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है। तथा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरूष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगें ।

(ई) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो इस प्रवेश नियम के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) में उपलब्ध रहेगा

<u>टिप्पणीः–</u>

1 यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरूद्व विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2 इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे। **होगा जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।**

(च) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme)**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित संस्थायें/ब्रांच जिसमें गत वर्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुये हो ऐसी समस्त संस्थाओं में दो/तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रूपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि मध्यप्रदेश शासन अथवा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा इन स्थानों पर प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

(छ) **मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण :–**

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एंव अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों **में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपालए दिनांक 02 जुलाई 2019. के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10: दस प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।** प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख से अधिक ना हो, को दिया जावेगा।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारुप-11** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

1.5 <u>प्रवेश हेतु पात्रता :</u>

1.5.1 जो भारत का नागरिक हो

1.5.2 शैक्षणिक अर्हताः—

पोलीटेकनिक महाविद्यालय संस्थाओं के विभिन्न नॉन पी.पी.टी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता **<u>तालिका—1</u>** में दर्शाई गई है.

काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय उम्मीदवार को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

1.5.3 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/शासकीय विशेष सह—शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू —काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण—पत्र **<u>प्रारूप—6</u>** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र **<u>प्रारुप—6 (अ)</u>** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 <u>प्रवेश की रीति</u>

प्रत्येक पाठ्यक्रम समूह के लिये निर्धारित अर्हता के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार प्रत्येक समूह (**तालिका–1** के अनुसार) के लिये अलग–अलग एकीकृत योग्यताक्रम सूची तैयार कर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

नोटः–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम् प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

1.7.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया*

(Online Offcampus Admission Procedure)

राज्य सरकार द्वारा आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धतिः

1.8.1 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम समूह के लिये भरवाये जायेंगे।

1.8.2 मेरिट अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारुप–9** में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.8.3 योग्यताक्रम सूचियां

1.8.3.1 उम्मीदवारों के अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर नान–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग एकीकृत योग्यताक्रम

सूचियां (Common Merit Lists) तैयार की जावेगी। नान–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित ऑन लाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

1.8.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी

1 अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले को मेरिट निर्धारित करने मे वरीयता दी जाएगी। **तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।**

2 नियम 1.8.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त ऐसे उम्मीदवारों से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

1.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

1.8.4.1 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट **https//dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.4.2 **मूल प्रमाण–पत्रः** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

1.8.4.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

1.8.4.4 **एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरणः**

किसी भी संस्था में प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्रा का अन्य संस्था में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा.

1.9 प्रवेश का क्रमः–

1.9.1 परामर्श (काउन्सलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम में काउंसिलिंग की जावेगी। ताकि रिक्त आरक्षित

स्थान पारस्परिक रूप से निम्नलिखित अनुसार परिवर्तित किए जा सकेगें:— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति।

1.9.2 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसिलिंग) का आवंटन करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसिलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें अपनी श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

1.9.3 अर्हकारी परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसिलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

1.10 <u>प्रवेश का रद्द किया जानाः—</u>

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) **मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है।** अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) <u>रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :—</u>
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की

काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क :–

राज्य शासन ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

1.12 निर्वचन :–

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.13 उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन (Modification) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 क्षेत्राधिकार :–

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट https//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (नॉन पीपीटी) के प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में नॉन पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

2.1. <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–</u>

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है ।

2.2. <u>परिभाषाएंः–</u>

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) ''**समुचित प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) ''**प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति;

(घ) ''**ए.आई.सी.टी.ई.**'' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम,1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ड.) ''**उपाबंध**'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) ''**सक्षम प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(छ) "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं

(ज) ''**फीस**'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) ''**अनिवासी भारतीय**'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(ञ) ''**प्राचार्य**'' से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ट) ''**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय

सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) ''**व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम व्दारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956(1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) ''**अर्हकारी परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ढ) ''**एकल खिड़की प्रणाली**'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ण) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैः–

1. ''सी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है कमिश्नर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
4. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे है वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। **अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल–निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल–निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।**

5. **''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों''** **(TFW)** से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रू 8.0 (आठ) लाख रूपये से अधिक न हो को, दिया जावेगा।

6. **मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण**:- समस्त निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019. के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% दस प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

2.3. लागू होनाः–

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं पर लागू होंगें। (तालिका 1)

2.4. प्रवेश नियमः–

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता–

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार हैः–

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

2.4.2 <u>स्थानों का आवंटन/आरक्षण–</u>

निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए (सैनिक वर्ग एवं जम्मू–कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार को छोड़कर) उम्मीदवार को इस प्रवेश नियम के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने की शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति(एस.सी.), अनुसूचित जनजाति(एस.टी.) तथा अन्य पिछड़ी जाति(ओ.बी.सी)(क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा. ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा तालिका एक में दिया गया है।

<u>टिप्पणी :</u>

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है,

उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारुप–1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारुप–2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2018** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप–10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :**

कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थानों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारुप–7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारूप–8** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:–

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

(ड.) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme)**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित संस्थायें/ब्रांच जिसमें गत वर्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुये हो ऐसी समस्त संस्थाओं में दो/तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रूपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि मध्यप्रदेश शासन अथवा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

(च) **मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण**:- समस्त निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल] दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% (दस प्रतिशत) स्थान आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख से अधिक ना हो, को दिया जावेगा।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

2.5.1 जो भारत का नागरिक हो

2.5.2 शैक्षणिक अर्हताः– पोलीटेकनिक महाविद्यालय संस्थाओं के विभिन्न नॉन पी.पी.टी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता **तालिका–1** में दर्शाई गई है.

काउन्सिलिंग / प्रवेश के समय उम्मीदवार को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2.5.3 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार / तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र **प्रारूप–6** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 / 09 / 2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप–6(अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 <u>प्रवेश की रीति</u>

प्रत्येक पाठ्यक्रम समूह के लिये निर्धारित अर्हता के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार प्रत्येक समूह (**<u>तालिका–1</u>** के अनुसार) के लिये अलग–अलग एकीकृत योग्यताक्रम सूची तैयार कर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

नोटः–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

2.7 <u>प्रवेश की प्रक्रिया</u>

2.7.1 <u>*ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):*</u>

राज्य सरकार द्वारा आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.7.2 <u>*अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*</u>

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.7.3 <u>अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन</u> –

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

2.8.1 निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम समूह के लिये भरवाये जायेंगे।

2.8.2 **मेरिट अंकों में अधिभार**

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारुप–9** में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.8.3 **योग्यता क्रम सूचियां**

2.8.3.1 उम्मीदवारों के अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर नान–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग एकीकृत योग्यताक्रम सूचियां (Common Merit Lists) तैयार की जावेगी। नान–पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित ऑन लाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.8.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले को मेरिट निर्धारित करने मे वरीयता दी जाएगी। **तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।**
2. नियम 2.8.2 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त ऐसे उम्मीदवारों से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

2.8.4 **प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :**

2.8.4.1 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया

जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट **https//dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.8.4.2 **मूल प्रमाण–पत्रः** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

2.8.4.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.8.4.4 **एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण** :

किसी भी संस्था में प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्रा का अन्य संस्था में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा.

2.9 प्रवेश का क्रम :–

2.9.1 सक्षम प्राधिकारी व्दारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिग) से उन सस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी व्दारा अधिसूचित प्रकिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.9.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रवेश नियम–2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जावेगी।

2.9.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

2.9.4 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.9.5 अर्हकारी परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसिलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

2.10 <u>प्रवेश का रद्द किया जानाः–</u>

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) **<u>रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–</u>**
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 <u>शिक्षण तथा अन्य फीस :–</u>

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का शिक्षण शुल्क अधिकतम ₹1.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगा एवं संस्था विशेष उपर्युक्त सीटों पर इससे कम शिक्षण शुल्क पर भी प्रवेश दे सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा परन्तु संबंधित संस्था द्वारा इस आशय की अग्रिम सूचना समिति को तथा सक्षम प्राधिकारी को देना होगी।

2.12 <u>निर्वचन :–</u>

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.13 <u>नियमों / प्रक्रियाओं का उपांतरणः–</u>

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध / नियम / प्रक्रिया को संशोधित (Modification) करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.14 <u>क्षेत्राधिकार :–</u>

किसी भी विवाद के मामले में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट https//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

तालिका–1

सत्र 2021–22 में विभिन्न पोलीटेकनिक महाविद्यालय/महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय/विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय के नॉन–पी.पी.टी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम/अवधि तथा शैक्षणिक अर्हता का विवरणः–

समूह ''अ'' के पाठ्यक्रम

स.क्र.	ब्रांच/विषय	पाठ्यक्रम अवधि	प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
1	एप्लाइड वीडियोग्राफी**	3 वर्ष	समस्त उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12 वीं कक्षा की परीक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा (**न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ**) उत्तीर्ण होने के साथ विज्ञान एवं गणित विषय के साथ दसवीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण हो।

समूह ''ब'' के पाठ्यक्रम

स.क्र.	ब्रांच/विषय	पाठ्यक्रम अवधि	प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
1	मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट	3 वर्ष	समस्त उम्मीदवारों को माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा किसी भी विषय समूह के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
2	ब्यूटी कल्चर एण्ड कॉस्मेटोलाजी	2 वर्ष	

**मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14–17/2012/बयालीस(1) दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता एवं अवधि परिवर्तित।

विभिन्न पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वर्ष 2021–22 में देय शिक्षण शुल्क की जानकारी
(शिक्षण शुल्क की राशि दो समान किश्तों में प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में देय होगी)

(क) शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय/ विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय/राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क

1. **अनारक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क :**

(अ) समस्त शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/ महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय/ विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय/राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नॉनुसार देय होगा :–

1. राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में :

   शिक्षण शुल्क (वार्षिक) — रु 10,000

2. शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय में :

   शिक्षण शुल्क (वार्षिक) — रु 7500

नोटः– यदि किसी पोलीटेकनिक महाविद्यालय को स्वशासी घोषित किया जाता है तो शिक्षण शुल्क उपरोक्तानुसार रु 10,000/– देय होगा ।

(ब) अन्य शुल्क समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष एक मुश्त सत्र के प्रारंभ में निम्नानुसार देय होगा :–

1.	समेकित निधि (प्रवेश)	रु 5.00
2.	छात्र सहायता	रु 5.00
3.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	रु 20.00
4.	अमलगमेटेड फंड	रु 40.00
5.	प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट	रु 100.00

6. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कः वि.वि. के निर्धारण के अनुसार

(स) वापसी योग्य अवधान राशि (एक बार) समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय होगी

1.	संस्था के लिए अवधान राशि	रु 100.00
2.	छात्रावास के लिए अवधान राशि	रु 100.00

2. **अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्कः**

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा शासन के आदेश क्रमांक एफ–12–42/99/2/पच्चीस दिनांक 10.07.2003 के अनुसार या अन्य नवीनतम आदेशानुसार शिक्षण शुल्क से छूट हेतु निर्धारित आय सीमा अनुसार फीस देय होगी।

3. **अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्कः–**

मध्यप्रदेश शासन ,आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये जारी योजना 88–89 विनियत के कंडिका (5) तीन (ख) में दिये गये निर्देशों के साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–13–58/90/54/1दिनांक 17–10–2000 के द्वारा संशोधित अधिकतम आय सीमा के अनुसार ऐसे छात्र जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोतों से रुपए 75000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो या अन्य नवीनतम आदेश में निर्धारित आय सीमा के द्वारा देय सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी ।

अन्य पिछड़े वर्ग के जिन छात्र/छात्राओं को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है उन छात्र/छात्राओं को संस्थाओं में वही शिक्षण शुल्क देय होगा, जो उपरोक्त (1) में अनारक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं के लिये निर्धारित है ।

(क) निजी क्षेत्र की संस्थानों के लिये शिक्षण एवं अन्य शुल्क

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................   प्रकरण क्रमांक...........................
प्रमाण पत्र क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम.. निवासी ग्राम/नगर........................ .... वि.खं.. तहसील.......................................जिला.. संभाग............. .... के...जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम... ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**

(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**

पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वालेप्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक..

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी ग्राम/शहर.. तहसील.................................. जिला............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक.............. पर अंकित है।

श्री.. और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला...... .... संभाग................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.. के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

<u>प्रारूप–3 (भाग–अ)</u>

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................ **दिनांक..........................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम) .... जो प्रवेश परीक्षा का नाम...वर्ष......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक....................................था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पद पर सर्विस क्रमांक..के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष......................में हो चुकी है।

स्थान : ....

दिनांकः ....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप–3 (भाग–ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक....................................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम) .... जो प्रवेश परीक्षा का नाम...वर्ष......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)...पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक..से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान : ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग
(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप – 4</u>

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक..........................**

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम).. जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).. द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष.................... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से...पर (पाठ्यक्रम का नाम)... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री / कुमारी...के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से...(स्थान) तहसील... जिला..में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :........................ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः..........................

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप – 5</u>

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक..........................**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).. श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम).. के वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री हैं।

श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के माता/पिता नाम) .... श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) .... के वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री हैं।

एवं

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)...का नाम मध्यप्रदेश के जिला ....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक......................पर पंजीकृत है।

स्थान :...........................

दिनांकः...........................

हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय सील)

प्रारूप–6

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील................................. जिला.................................

प्र.क्र वर्ष................................. दिनांक...........................

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का पासपोट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु...
पिता/पति...निवासी...
तहसील.. जिला... (मध्यप्रदेश).
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..................................... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक.... ....दिनांक ....के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः–

टीपः– यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।

(आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
तहसील..
जिला..

*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेंगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

प्रारूप–6 (अ)

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)

फोटो स्व प्रमाणित

मैं... आत्मज/पति श्री................................ आयु लगभग ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती .... एवं उम्र (लगभग).......................... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री–
   1. श्री/कु...आयु (लगभग).............................. वर्ष
   2. श्री/कु.. आयु (लगभग).............................वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ....मोहल्ला.................. ग्राम.....................तहसील...... .... जिला.....................में वर्ष .... मैं पैदा हुआ/हुई हूँ।
   2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला....................शहर........................तहसील................... जिला.........................में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।

      (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ–कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
   3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .... कार्यालय का नाम ....विभाग का नाम .... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
   4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.............................नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.........................पद पर... ....कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

      (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

5. मैं केन्द्र शासन के .... विभाग में .... के पद पर .... कार्यालय...................... तहसील.............................. जिला........................ के पद पद 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष .... बैंच) अधिकारी हूँ। .... पद पर .... कार्यालय/मंत्रालय.. में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक..................................पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।

(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.................) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण—पत्र संलग्ल करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....................................आत्मज/पति श्री...............................आयु.................................. वर्ष निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा—पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान.................................. में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा —पत्र में किया जाये)

<u>प्रारूप–7</u>

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण–पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that ....
S/o or D/o ....
R/o ....Tehsil ....
District... A/P...................................
Pin .... is registered from No. ....
R/Card No…………………………... At
S. No. .... of his/her father ration card issued
from this zone.

Seal of Tehshildar **Zonal Officer / Tehshildar**

प्रारूप–8

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/श्री .... जो .... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष............................ के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/श्री .... ने वर्ष .... की . ... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ....
दिनांक ....

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :–
ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

प्रारुप–10

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(सादे कागज पर)

मैं.. आत्मज श्री... आयु ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम .... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये........................शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये............................ शब्दों में ....है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैः–
   1......................2.........................3..........................4...........................5
   (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में..है।
7. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अथवा**
8. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व लगभग .... समय पूर्व एक आय प्रमाण –पत्र/शपथ–पत्र राशि..रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
   (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं...............................आत्मज/पति श्री.............................आयु...........................वर्ष, निवासी ....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक .... वर्ष .... को स्थान.......................में किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-11

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या....................... दिनांक-...........................

वित्तीय वर्ष ....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पति/पुत्री...ग्राम/कस्बा...
पोस्ट ऑफिस ....थाना..
तहसील...........................जिला.................................राज्य.......................................
पिन कोड .... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नही है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।

2.श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति................................. के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नही है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर..............(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

अनुविभागीय अधिकारी /तहसीलदार

तालिका–2

सत्र 2021–22 में विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं के नॉन पी.पी.टी. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध ब्रांच तथा सीटों की अनुमानित संख्या (एआईसीटीई/राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन परिवर्तनीय)

क्र.	संस्था का नाम	उपलब्ध ब्रांच	कुल सीट
	विशेष सह–शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय		
1.	बुरहानपुर	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
2.	छिन्दवाड़ा	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
3.	होशंगाबाद	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
4.	खरगौन	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
5.	नरसिंहपुर	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
6.	पन्ना	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
7.	सागर	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
8.	भिण्ड	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
		योग	**480**
	शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय :		
1.	भोपाल	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
2.	जबलपुर	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
3.	ग्वालियर	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	60
		ब्यूटी कल्चर एण्ड कॉस्मेटोलाजी	60
		योग	**240**
	शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालय :		
1.	भोपाल	एप्लाइड वीडियोग्राफी	60
		मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एम.ओ.एम.)	65
2.	खण्डवा	मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट (एम.ओ.एम.)	60
		योग	**185**
		महायोग	**905**